न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–8, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी ::: किशन लाल चौधरी,
आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौ.वि.(जमानत) आवेदन संख्या – 223/2022 (1896/2022)

रामचन्द्र दादवानी पुत्र श्री नन्द लाल दादवानी, आयु 43 वर्ष, प्रोपराईटर मैसर्स साई विशाल टैक्सटाईल्स, द्वारका माई मन्दिर के सामने, शिरडी, महाराष्ट्र।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 439 द. प्र. सं., बसिलसिले आपराधिक प्रकरण संख्या 36/2016, उनवानी बुद्धिप्रकाश बनाम रामचन्द्र, न्यायालय विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन0 आई0 एक्ट प्रकरण), क्रम संख्या 6, जयपुर महानगर–प्रथम, अपराध अन्तर्गत धारा–138 एन0 आई0 एक्ट,

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र कुमार साहू विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री गिर्राज प्रसाद गुर्जर विद्वान अपर लोक अभियोजक–राज्य।

आदेश **दिनांक : 01.10.2022**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता जरिये अधिवक्ता श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जो अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया, नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रकरण की पत्रावली तलब की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति इरादतन नहीं हुई है। प्रकरण में परिवादी की मृत्यु हो गई थी, लम्बे समय तक परिवादी के कायम मुकामान ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। परन्तु इस आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवाद को भी खारिज नहीं किया। तत्पश्चात परिवादी के विधिक वारिसान ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो प्रार्थना पत्र बहस हेतु नियत था। उन्होंने भी दिनांक 08.08.2022 को

बहस प्रार्थना पत्र के स्तर पर ही प्रकरण को नियत माना। जबकि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.08.2022 को उन्हें बिना सुने प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिया। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 27.08.2022 को बयान मुलजिम हेतु नियत की गई। क्योंकि उनकी समझ में दिनांक 08.08.2022 को प्रकरण बहस प्रार्थना पत्र के स्तर पर ही नियत था, इस कारण उन्होंने प्रार्थी/अभियुक्त को आगामी पेशी दिनांक 27.08.2022 को उपस्थित होने की सूचना नहीं दी तथा प्रार्थी/अभियुक्त की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय ने खारिज कर प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके जप्त करते हुये उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया। प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं ही विद्वान विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र खारिज करने में गंभीर त्रुटी की है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में लम्बे समय तक अनुपस्थित नहीं रहा है। इससे पहले एक बार प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत जब्त हुई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में लम्बा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त ने धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण निस्तारण करवा लिया है और जुर्माना जमा करवा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

जबकि दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण का विचारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अनुपस्थिति का कोई सद्भाविक कारण भी नहीं बताया गया है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

यह सही है कि प्रकरण दिनांक 27.08.2022 को बयान मुलजिम के स्तर पर लंबित था, परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण बयान मुलजिम नहीं लिये जा सके तथा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके जब्त कर उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया। गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2022 को

स्वयं उपस्थित होकर अपना जमानत आवेदन पत्र पेश किया है, जिस जमानत आवेदन पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय ने अस्वीकार कर खारिज किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि इससे पूर्व इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के एक बार ही जमानत मुचलके जब्त हुये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की प्रकरण में अनुपस्थिति की समयावधि लम्बी नहीं रही है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अब प्रकरण में हर तारीख पेशी पर प्रार्थी/अभियुक्त के उपस्थित रहने का कथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने धारा 446 दं0 प्रं0 सं0 की कार्यवाही का निस्तारण करवा लिया है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अग्रिम कार्यवाहियों में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त रामचन्द्र दादवानी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता सशर्त स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि की पच्चीस हजार रूपये की एक जमानत व इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे कि वह प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष बिना किसी न्यायोचित कारण के अनुपस्थित नहीं होगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(किशन लाल चौधरी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–8
जयपुर महानगर प्रथम

आदेश आज दिनांक 01.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशन लाल चौधरी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–8
जयपुर महानगर प्रथम